



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/आश्विन 1, 1938

No. 667]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ASVINA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 905(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620 (अ), तारीख 23 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 23 जून, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (14वां संशोधन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 125 ग में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) केंद्रीय मोटर यान (14वां संशोधन)नियम, 2016 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास को और छह मास की समाप्ति पर और उसके पश्चात् स्लीपर कोचों की बाडी बिल्डिंग के लिए, उनमें वर्णित यानों के लिए परीक्षण और अनुमोदन जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 119 (रेव – 1):2016 के अनुसार होगा।”

[सं. आरटी- 11028/18/2014 –एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 895(अ), तारीख 20.09.2016 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2016

G.S.R. 905(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 620 (E), dated the 23rd June, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 23rd June, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (14th Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 125C, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) On and after expiry of six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (14th Amendment) Rules, 2016, the testing and approval for body building of sleeper coaches shall be in accordance with AIS-119 (Rev.1):2016, as amended from time to time, for vehicles mentioned therein, till the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)”.

[No. RT-11028/18/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R 895(E) dated 20.09.2016